प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 28.01.2026

- **थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 19.11.2025 को थाना सट्टी पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी नाबालिग भतीजी उम्र 17 वर्ष को विपक्षी बहला फुसला कर कही ले गया है। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 53/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम मोहित उर्फ राहुल पुत्र बृजकिशोर निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता का मेडीकल परीक्षण/ बयान धारा 183 बीएनएसएस एवं प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना सट्टी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहित उर्फ राहुल पुत्र बृजकिशोर निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को दिनांक 28.01.2026 को ग्राम अफसरिया मोड़ के पास थाना क्षेत्र सट्टी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम-पता

मोहित उर्फ राहुल पुत्र बृजकिशोर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना सट्टी पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्री कालीचरण
उ0नि0 श्री कामता प्रसाद
हे0का0 584 राजू त्यागी
का0 49 रमेश कुमार